बजट समाचार

राज्य बजट का अध्ययन व विश्लेषण

त्रैमासिक | अंक 42 | अक्टूबर - दिसम्बर 2012 | सीमित प्रसार के लिए

सम्पादकीय

बजट समाचार का यह अंक तब आ रहा है जब राज्य सरकार द्वारा राज्य बजट 2013–14 बनाने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। पिछले माह ही वित्त विभाग द्वारा बजट प्रपत्र जारी किया जा चुका है तथा सभी विभाग अपने विभागों से संबधित बजट का अनुमान तैयार कर रहे हैं। ऐसे में राज्य की स्वयं सेवी संस्थाओं तथा जन संगठनों के लिये सरकार के समक्ष अगले बजट में अपनी मांगें तथा अपेक्षाएँ रखने का यह उचित अवसर है। बाक्र ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ एक बैठ़क का आयोजन किया जिसमें, ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा, अल्पसंख्यक मामलात, शिक्षा तथा स्वास्थ्य आदि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कि गई। इस बैठ़क में उभरे मांगों एवं सुझावों को हम इस अंक में शामिल कर रहे हैं। हमें आशा है कि आप अपनी राय तथा विचारों से हमें अवगत करवायेंगें। बार्क नवम्बर में कृषि तथा अन्य संबंधित विषयों पर एक और कार्यशाला का आयोजन करेगा। जिसमें हमें एक बार और इन विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा।

इसके अलावा इस अंक में हमने राज्य में आंगनबाड़ी कार्यक्रम की स्थति तथा उसके 'सर्वव्यापीकरण' की आवश्यकता, शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की स्थिति, राज्य में कृषि एवं कृषि नीति का मसौदा तथा किसान आयोग के गठन, ग्रामीण विकास तथा राज्य में बाहरी कर्ज़ से संचालित परियोजनाओं की स्थिति पर लेख भी दिये हैं। आशा है बजट समाचार का यह अंक आपको उपयोगी लगेगा। कृपया अपनी राय एवं सुझाव हमें अवश्य भेजें।

स्वंय सेवी संगठनों के साथ बजट पूर्व कार्यशाला के दौरान उभरे बजट 2013–14 से अपेक्षायें एवं सुझाव

राज्य सरकार द्वारा राज्य के वार्षिक बजट 2013–14 का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। इस संदर्भ में **बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र** (बार्क) द्वारा दिनांक 5 अक्टूबर 2012 को स्वंय सेवी संस्थाओं के साथ बजट पूर्व कार्यशाला का आयोजन राज्य संदर्भ केन्द्र, जयपुर में किया गया। राज्य भर की स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ विचार विमर्श के दौरान कृषि, जल, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं एवं बाल अधिकार, स्थानीय निकाय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उपयोजना तथा विभागवार बजट आवंटन पर विस्तृत चर्चा की गई। इस विचार–विमर्श बैठक में निम्न मुद्दें/मांगें उभरकर समाने आये ।

प्रक्रिया एवं पारदर्शिता –

- राज्य सरकार को सरकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ ले सकें।
- राज्य सरकार को बजट विवरण विभागवार एवं जिलेवार के रूप में आमजन को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करनी चाहिये।
- पंचायतों का बजट तैयार होकर पंचायती राज विभाग को भेजा जाता है, जबकि राज्य सरकार को पंचायत की बजट प्रकिया को वित्त विभाग से जोड़ना चाहिए।
- राज्य सरकार को विधायक क्षेत्रीय विकास कोष में राशि खर्च के करने के नियम एवं इस योजना पर व्यय धन की जानकारी वेबसाईट के माध्यम से आमजन को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।
- शहरी विकास के आयोजना एवं बजट के लिये सूक्ष्म आयोजना एवं बजटींग की व्यवस्था होनी चाहिये।
- शहरी विकास के आवंटित बजट एवं योजनाओं का संबंधित स्थानीय शहरी निकायों द्वारा वेबसाईट पर विवरण दिया जाना चाहिये।

शिक्षा –

- लड़कियों के लिये 12 वीं तक की मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिये।
- शिक्षा के अधिकार कानून के अनुसार प्रत्येक निजी विद्याालय 25 प्रतिशत विद्यार्थीयों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवायेगा लेकिन निजी विद्यालयों द्वारा नियमों का उल्लघंन हो रहा है। अतः सरकार को इस दिशा में ठोस कारवाई करनी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में लडके एवं लड़कियों के लिये अलग अलग शौचालयों एवं अन्य सुविधाओं का निर्माण करवाया जाना चाहिये।
- ग्रामीण विद्यालयों में विद्यार्थीयों पर अवश्यक शिक्षकों का अनुपात बहुत कम है राज्य सरकार द्वारा इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
- शिक्षा का अधिकार कानून को पूर्ण रूप से क्रियांवित करने हेतु इस कानून के मानकों के अनुसार विद्यालयों में सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिये।
- किसी भी प्रकार की छात्रवृति हेतु पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृति दिलाने की जिम्मेदारी विद्यालय के प्राधानाघ्यापक की होनी चाहिये।

स्वास्थय –

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विलेज हैल्थ कमेटी को धन आवंटित किया जा रहा है पर वह धन खर्च नहीं हो रहा है राज्य सरकार को इस पर विशेष निगरानी करनी चाहिये।

सामाजिक सुरक्षा –

- राज्य में संचालित विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन कम से कम 1000 रू. मासिक होनी चाहिये तथा इसे मंहगाई के साथ जोड़ा जाना चाहिये।
- राज्य में संचालित विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं का सार्वभौमिकरण होना चाहिए।
- कम उम्र में विधवा होने वाली महिलाओं के लिये पेंशन के साथ रोजगार उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करनी चाहिये।
- विधवा महिलाओं को आंगनबाडी में कार्यकर्ता/सहायिका के पदों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
- पंचायत स्तर पर संचालित समाज कल्याण विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं निगरानी के लिये कर्मचारी की नियुक्ति की जानी चाहिये।
- राज्य सरकार को अल्पसंख्यको के लिये चलाये जा रहे कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागु करना चाहिये।
- नरेगा अंर्तगत अपना खेत अपना काम योजना में बीपीएल., एस.टी., एस.सी. व सीमांत किसानों के साथ विधवा महिलाओं को लाभ देने का प्रावधान रखा जाना चाहिये।

भोजन की सुरक्षा –

- अनाज के भंडारण के लिये सरकार द्वारा उचित व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे अनाज खराब ना हो सके।
- महानरेगा के अंर्तगत अनाज भंडारन के लिये ग्राम पंचायत/पंचायत समिति स्तर पर भंडार गृह का निर्माण करवाया जाना चाहिये।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमिकरण किया जाना चाहिये एवं उचित मूल्य की दुकानों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 25 कि.ग्रा. अनाज के स्थान पर 35 कि.ग्रा. अनाज दिया जाना चाहिये।

रोजगार –

- महानरेगा में रोजगार दिवसों की संख्या 100 से बढाकर 200 दिवस तक की जानी चाहिये।
- राज्य सरकार को न्यूनतम मजदूरी को मंहगाई के साथ जोडना चाहिये।
- राज्य की न्यूनतम मजदूरी 133 रू. से बढ़ाकर कम से कम केन्द्रीय सरकार की न्यूनतम मजदूरी 147 रू. के बराबर की जाये।
- नवयुवकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए नवीन कार्यक्रमों का संचालन प्रारम्भ किया जाये।

कृषि एवं भूमि –

- कृषि एवं बीज वितरण से संबंधित कार्यक्रमों पर राज्य सरकार को सेवाओं के वितरण की प्रणाली में सुधार करना चाहिये।
- राज्य में निजी कम्पनियों के बीज उपयोग करने की स्थिति में फसल का नुकसान होने पर निजी कम्पनियों की जवाबदेही तय की जाये तथा मुआवजा मिलना सुनिश्चित किया जाए।
- अनावृष्टि या अतिवृष्टि की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा फसल नुकसान के मुआवजे मे दी जाने वाली राशि को बढ़ाया जाना चाहिये।
- ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाहों की भूमि पर चारदीवारी की व्यवस्था की जाए तथा चारागाह पर अतिक्रमण होने की स्थिति में सरकार द्वारा निर्धारित कानूनों को सख्त किया जाये।
- चारागाह विकास हेतु आवश्यक कुंआ निर्माण को नरेगा के अंतर्गत करवाया जाना चाहिये।

इस संबंध में आप के अन्य विचार एवं सुझावों का स्वागत है। आप अपने विचार एवं सुझाव हमें भेजें जिसे हम इन मांगों में जोड़ सकें। साथ ही आप अपने विचार एवं सुझाव सीधे राज्य सरकार के वित्त विभाग को भी भेज सकते हैं।

राज्य में शिक्षा के अधिकार कानून के क्रियांविती की चुनौतियां

शिक्षा को मौलिक अधिकारों में शामिल करने के लिये वर्ष 2002 में भारत सरकार ने संविधान में 86वां संशोधन किया गया। जिसमें देश के सभी बच्चों को बूनियादी शिक्षा, अनिवार्य एवं निःशुल्क प्रदान करने का प्रावधान किया गया। इस संसोधन के करीब 7 वर्ष बाद वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून (निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009) पारित किया गया एवं तद्उपरांत 1 अप्रेल, 2010 से इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया। जिसके अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के हरेक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार है एवं प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक उससे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिये जाने का प्रावधान है। इस अधिनियम के अनुसार राज्य के निजी विद्यालयों को भी अपने कुल प्रवेश में 25 प्रतिशत गरीब एवं पिछड़े छात्रों को प्रवेश देना होगा। साथ ही इस अधिनियम में विद्यालयों एवं अध्यापकों तथा अन्य बूनियादी सुविधाओं के लिये अनेक मापदंड बनाये है, जिसमें प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 60 बालकों पर 2 शिक्षक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 35 बालकों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। इसके अलावा लड़के एवं लड़कियों के लिये पृथक शौचालय, प्रत्येक विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए 1 किमी. की पैदल दूरी की सीमा में एक विद्यालय होना एवं कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 2 किमी. की पैदल दूरी की सीमा के भीतर एक विद्यालय होना, मिड–डे–मील हेतु रसोई, खेल का मैदान, चार दीवारी, रेम्प/ढलान (विकलांगों हेतु रास्ता) आदि होना आवश्यक है।

शिक्षा के अधिकार कानून को पूर्ण रुप से क्रियांवित करने हेतु सरकारों ने तीन वर्ष का समय निर्धारित किया है। लेकिन अभी करीब ढ़ाई वर्ष की समयावधि बीत जाने के बावजूद सरकारों ने इस दिशा में कोई विशेष प्रयास नहीं किये हैं। अतः सरकारों के लिये के लिये सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस अवधि में वे अपने विद्यालयों में इतने वृहद स्तर पर बूनियादी सुविधाओं एवं संसाधनों का विकास कर कर पायेगी। प्रस्तुत आलेख में शिक्षा का अधिकार कानून के परिपेक्ष्य में राजस्थान की प्रारंभिक शिक्षा में सुविधाओं की स्थिति को दर्शाया गया है।

शिक्षा के अधिकार कानून के मानदंडों में अन्य पिछड़े राज्यों एवं क्षेत्रों की तरह राजस्थान की स्थिति काफी खराब है तथा ऐसे में सरकार को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम को क्रियांवित करने में राज्य के विद्यालयों में वृहद स्तर पर मूलभूत सुविधाओं एवं संसाधनों का विकास करना होगा। हालांकि राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, के उपबन्धों को क्रियान्वित करने हेतु राजस्थान सरकार ने भी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 तैयार कर दिया है। लेकिन राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी, विद्यालय भवनों का अभाव एवं विभिन्न संसाधनों का अभाव आदि अनेक ऐसी समस्याएं हैं, जिनसे निबटना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है।

राजस्थान में शिक्षा की स्थिति : राजस्थान देश के निम्न मानव सूचकांक वाले राज्यों में से एक है। राजस्थान में शिक्षा का स्तर देश के अन्य राज्यों की तुलना में काफी निम्न है। 2011 के जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में साक्षरता दर 67.06 प्रतिशत है, जो देश की कुल साक्षरता दर (70.04 प्रतिशत) से कम है। पिछले 10 वर्षों में राज्य की साक्षरता दर 6.65 प्रतिशत बढ़ी है, साक्षरता पुरुषों में 4. 81 प्रतिशत एवं महिलाओं में 8.81 प्रतिशत बढ़ी है। यदि लिंगानुसार साक्षरता दर देखी जाए तो 2011 में

शेष पृष्ठ 2 पर

राजस्थान में आँगनवाड़ी कार्यक्रम के ''सर्वव्यापीकरण'' की वर्तमान स्थिति

समाज के सभी नागरिको के लिए हर समय पर्याप्त भोजन की उपलब्धता, जो सांस्कृतिक तौर पर सभी को मान्य हो और उन्हे हासिल करने के समुचित माध्यम गरिमामय हो। एकीकृत बाल विकास सेवाएं के पीछे की सोच को समझने के लिए 1974 राष्ट्रीय बाल नीति पर गौर करना जरूरी होगा। इसी नीति में यह स्वीकार किया गया था कि भारत के अधिकांश बच्चे बदहाल आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक स्थितियों में रहते है, और इससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी भावना से 1975 में सरकार ने एक परियोजना के तौर पर एकीकृत बाल विकास सेवाएं की शुरूआत की।

उद्देश्य

एकीकृत बाल विकास सेवाएं छः वर्ष से कम आयु के बच्चों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने वाली एक मात्र प्रमुख राष्ट्रीय योजना है, आंगनवाड़ी कार्यक्रम छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों, के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव डालना व किशोरियों एवं महिलाओं के मौलिक अधिकारों, खास कर उनके पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकार से संबंधित है बाल व मातृ मृत्युदर, बीमारी, कुपोषण और स्कूल छोड़ने के हादसों में कमी लाना। यह इन अधिकारों की सुरक्षा के साथ–साथ ''गुणवत्ता व सर्वव्यापीकरण'' का मुद्दा भी उठाता है।

आँगनवाड़ी कार्यक्रम महत्वपूर्ण है : 0–6 वर्ष मानव विकास की सबसे तेज अवधि है :

क्योंकि पहले छः वर्ष मानव जीवन की सबसे नाजुक अवधि होती है, जब बच्चे का जिन्दा रह पाना चुनौती होता है। विज्ञान ने सिद्ध किया है कि मानव के स्वास्थ्य, भाषा, सीखने की दक्षता, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व की नींव जीवन के शुरूआती छह वर्षो में पड़ जाती है। इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका पोषण की ही होती हैं। पिछले पांच वर्षो से देश का आर्थिक विकास हर साल 6 से 7 प्रतिशत की दर से हो रहा है परन्तु सरकारी आकड़ों के अनुसार भारत में 6 से कम आयु के 46 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं व 75 प्रतिशत बच्चों में खून की कमी है। आकड़ों के अनुसार भारत में हर साल 6000 बच्चे कुपोषण जनित और संक्रामक बीमारियों से मर जाते हैं। देश में 55 प्रतिशत महिलाओं और 53 प्रतिशत किशोरियों मे खून की कमी है, भारत में 7700 माताएं प्रतिवर्ष मातृ मृत्युदर की चपेट में आ जाती हैं।

आँगनवाड़ी कार्यक्रम द्वारा प्रदान की जाने वाली मुख्य सेवाएं :–

जैसा कि नाम से विदित है आँगनवाड़ी कार्यक्रम छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर केन्द्रित ''एकीकृत सेवाओं'' को प्रदान करने पर लक्षित है। प्रदान की जाने वाली सेवाओं में प्रमुख हैं :

पूरक पोषणः बच्चों को उनकी आवश्यकता व सम्पूर्ण विकास हेतु उनको पुरक पोषाहार उपलब्ध कराना जिसके अंतर्गत तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ''घर ले जाने वाला राशन'' (टेक होम राशन) दिया जाता है तीन से छः वर्ष के बच्चों को गरम भोजन भी प्रदान किया जाता है।

बढ़त की निगरानी और प्रोत्साहनः तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर पर निगरानी रखने के लिए महीने में एक बार उन्हें तौला जाता है। बड़े बच्चों को तीन महीने में एक बार तौला जाता है। बढ़त चार्ट भरे जाते हैं, ताकि वजन में गिरावट पर निगरानी रखी जा सके।

पोषण और स्वास्थ्य शिक्षणः पोषण और स्वास्थ्य शिक्षण का लक्ष्य है कि 15–45 वर्ष की महिलाओं को अपने स्वयं के तथा अपने बच्चों और परिवार के स्वास्थ्य एवं पोषण की जरूरतों की देखरेख करने में मदद की जा सके। पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा परामर्श सत्रों, गृह भ्रमण और प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसमें स्तनपान, परिवार नियोजन, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग आदि विषय शामिल होते हैं।

टीकाकरणः– छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों का पोलियो, डीपीटी (काली खांसी, गलघोटू, धनुर्वात), खसरा और क्षय रोग से बचाव के लिए टीकाकरण किया जाता है और गर्भवती महिलाओं को धनुर्वात से बचाव के लिए टीके लगाये जाते हैं। यह आँगनवाड़ी कार्यक्रम और स्वास्थ्य विभाग की साझा जिम्मेदारी है। आँगनवाड़ी कार्यकर्ता की मुख्य भूमिका स्वास्थ्य कर्मियों (जैसे एएनएम) की सहायता करना, रिकार्ड रखना, माता–पिता को प्रेरित करना और टीकाकरण सत्र का आयोजन करना है।

स्वास्थ्य सेवाएं :– आँगनवाड़ी कार्यकर्ता के जरिये स्वास्थ्य सेवाओं दिया जाना आपेक्षित है, जिसमें छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य की जांच, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देख–रेख, धात्री माताओं की प्रसव के बाद देख–रेख, वजन के रिकार्ड, अल्प पोषण का प्रबंधन और छोटी–मोटी बीमारियों का निदान सम्मिलित है।

संदर्भ सेवाए :– यह सेवाएं बीमार या कुपोषित बच्चों, विकलांग बच्चों और उन बच्चों को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ती है, जिन्हें स्वास्थ्य के जांच की जरूरत है। इस प्रकार के मामलों को आँगनवाड़ी कार्यकर्ता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी को रेफर करती है।

स्कूल पूर्व शिक्षाः इसका मकसद 3–6 वर्ष की उम्र के बच्चों को शैक्षणिक माहौल और तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रारम्भिक देखभाल और प्रोत्साहन प्रदान करना है। स्कूल पूर्वशिक्षा सामाजिक, भावनात्मक, बौद्धिक, शारीरिक और सौंदर्यबोध के विकास को बढ़ावा देने के लिए ''खेल'' के माध्यम से प्रदान की जाती है और उन्हें प्राथमिक शिक्षा के लिए भी तैयार किया जाता है।

आँगनवाड़ी कार्यक्रम के ''सर्वव्यापीकरण'' का अर्थ क्या है?

सर्वव्यापीकरण का अर्थ है प्रत्येक बच्चा साथ में प्रत्येक गर्भवती महिला, दूध पिलाने वाली मॉ और किशोरी की आँगनवाड़ी तक सहज रूप में पहुंच हो और वे आँगनवाड़ी कार्यक्रम की सेवाओं का पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। देश के सर्वोच्च न्यायलय में 28 नवम्बर 2001 को सरकार को आँगनवाड़ी कार्यक्रम के सर्वव्यापीकरण के निर्देश दिये ताकि सबको उनकी आवश्यकता अनुसार पुरा पोषण प्राप्त हो इसके बाद 19 अप्रैल 2004 के आदेश अनुसार यह कहा गया कि 0–6 वर्ष के सभी बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और धात्री माताओं को वर्ष में 300 दिन पूरक पोषाहार प्राप्त हो। 7 अक्टूबर 2004 को आदेश दिया कि आँगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या 6 लाख से बढ़ा कर 14 लाख की जाये। सर्वोच्च न्यायलय के अन्य आदेश के अनुसार जितनी जल्दी संभव हो, सभी अ.जा/अ.ज.जा. बस्तियों में आँगनवाड़ी हो, और नयी आँगनवाड़ी खोलने के लिए उन बस्तियों को प्राथमिकता दी जाये व ''पोषण सामग्री की आपूर्ति में ठेकेदारों का इस्तेमाल न किया जाये तथा आई.सी.डी.एस. फण्ड का व्यय ग्रामीण समुदाय, स्वयं सहायता समहू और महिला मण्डल अनाज को खरीदने तथा भोजन तैयार करने में करें, इसे वरीयता दी जाये।''

राजस्थान में आईसीडीएस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान वर्ष 2010 में राज्य में संचालित 304 बाल विकास परियोजनाओं पर लगभग 48.37 लाख 0–6 आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार से लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य बजट में संशोधित अनुमान के अनुसार राज्य सरकार इस कार्यक्रम पर वर्ष 2011–12 में कुल 1179.99 करोड़ रू. खर्च किये, वहीं वर्तमान वर्ष 2012–13 हेतु 1374.7'9 करोड़ रू. का प्रावधान रखा गया है।

राजस्थान सरकार के आकड़ों के अनुसार वर्ष 2010 – 11 के अनुसार आंगनवाड़ी केन्द्रों व कर्मियों कि स्थितिः

राजस्थान सरकार के आकड़ों के अनुसार वर्ष 2010 – 11 के अनुसार आंगनवाड़ी केन्द्रों व कर्मियों कि स्थितिः

	स्वीकृत	कार्यरत	कमी / रिक्तियां
बडे आंगनवाड़ी केन्द्र	54,915	52,628	2287
मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र	6,204	4,344	1860
बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी (सी.डी.पी.ओ) व अतिरिक्त बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी	419	205	214
पर्यवेक्षक	2,232	1633	599

स्रोत–महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर

प्रशासनिक खामियां / कमजोरियां

- राजस्थान की 2011 की जनसंख्या 6 करोड़ है। उच्चत्तम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार प्रदेश में लगभग 70,000 आंगनवाड़ी केन्द्र होने चाहिये। जबकि 54,915 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत हुए है, परन्तु वर्तमान में 52,628 आंगनवाड़ी केन्द्र कार्यरत है।
- राज्य में कुल आदिवासी एवं दलित मुहल्ले 49,741 हैं और उनमें केवल 42,852 में आंगनवाड़ी केन्द्र हैं।
- 0–6 वर्ष के प्रदेश में कुल बच्चे 93 लाख 50 हजार 896रू. है। लेकिन लाभन्चित बच्चों की संख्या क्रमश (0–3वर्ष) 16 लाख 68 हजार 437 एवं (3–6वर्ष) 10 लाख 87 हजार 249 यह कुल बच्चों के 25 प्रतिशत से भी कम है।
- सन् 2004 में उच्चत्तम न्यायालय ने आंगनवाड़ी का लाभ सबको मुहैया करवाने का आदेश पारित किया था। लेकिन 2011–12 में पुरक पोषाहार का लक्ष्य मात्र लगभग पचास प्रतिशत था।
- उच्चत्तम न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद 295 में से 147 परियोजनाओं में घर ले जाने वाली राशन (टी.एच.आर.) निर्माता फर्मो से दिलवाया जा रहा है।
- 18,414 केन्द्र किराये के मकान में है और 1098 कार्यकर्ता के धर से चल रहे हैं।

हाल के वर्षों में राजस्थान की आंगनवाड़ियों की समस्याओं को जानने हेतु उच्चतम न्यायालय के राज्य सलाहकार द्वारा किये गये अध्ययन (2012) एवं आर. आई. एच. आर. द्वारा किये गये राजस्थान में आंगनवाडी केन्द्रों की स्थिति : एक अध्ययन (2011) में निम्न तथ्य उभर कर आये हैं।

1. आंगनवाड़ी पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की अनुपस्थिति।
2. आंगनवाड़ी केन्द्र पर कार्मिकों को समय पर भूगतान नहीं मिलता है।
3. एक गॉव में सभी बच्चों को आंगनवाड़ी का लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने केवल 40 या 80 बच्चों को ही अपना लक्ष्य समूह बना रखा हैं। वजन भी केवल उन्ही बच्चों का लिया जाता हैं।
4. प्रभावी निरीक्षण व्यवस्था का अभाव है।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर कार्यकर्ता अशिक्षित हैं अतः उनको वजन मशीन, कुपोषण, वृद्विनिगरानी आदि की जानकारी ही नहीं हैं।
6. आंगनवाड़ी केन्द्र पर जो पोषाहार बनता है, उसकी मात्रा व गुणवता के जांचने का उपाय कोई नहीं हैं।
7. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 25 कि.मी. की दूरी से केन्द्र पर आती हैं और इसका महिला पर्यवेक्षक बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी सभी को पता होता है फिर भी कार्यवाही नहीं होती।
8. आंगनवाड़ी केन्द्रों पर साफ–सफाई का अभाव।
9. आंगनवाड़ी समय पर नहीं खुलती हैं इसलिए गर्म पोषाहार भी नहीं बन पाता है। केवल गुरूवार का पंजेरी पैकेट का वितरण आंगनवाड़ी केन्द्र के नजदीकी क्षेत्र में हो जाता हैं।
10. आंगनवाड़ी केन्द्र के सामने किसी भी प्रकार का सूचना बोर्ड नही हैं।
11. शाला पूर्व शिक्षा का अभाव व उचित पठ्म सामग्री का अभाव ।
12. शहरी क्षेत्रों में 97 प्रतिशत आगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में कार्यरत है।
13. कमरे का आकार 8x8 फिट तक के है जो काफी छोटे है।
14. कुपोषण की निगरानी में आंगनवाड़ी केन्द्रों की प्रस्तुति असंतोषजनक है।
15. केन्द्रों पर दस्तावेजों के रखरखाव में कमी।

पृष्ठ 1 का शेष राज्य में शिक्षा के.....

पुरुषों में 80.51 एवं महिलाओं में 52.66 प्रतिशत है। भारत में महिला साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान सबसे पिछे है। 2001 की जनगणना में बिहार 33 प्रतिशत महिला साक्षरता दर के साथ सबसे पीछे था, जो अब 53.33 प्रतिशत के साथ राजस्थान से आगे है। इसके अलावा राज्य में प्राथमिक शिक्षा में ड्रोप आउट रेट भी अधिक है, साथ ही बड़ी संख्या में छात्र / छात्राएं विद्यालय से वंचित है।

राज्य में शैक्षणिक सुविधाओं की स्थिति : राज्य के प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की स्थिति पर नजर डालें तो वर्तमान में (2010–11 के प्रतिवेदन के अनुसार) 3.5 प्रतिशत से अधिक प्राथमिक विद्यालयों एवं 1 प्रतिशत के करीब उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन नहीं हैं। पेयजल की व्यवस्था की स्थिति देखते हैं तो करीब 11 प्रतिशत प्राथमिक एवं 6 प्रतिशत से अधिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की सुविधाओं का अभाव है वहीं करीब 9 प्रतिशत प्राथमिक एवं 3 प्रतिशत से अधिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। राज्य में करीब 64 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं, जिनमें बिजली की सुविधा का अभाव है एवं करीब 22 प्रतिशत विद्यालयों में पर्याप्त कक्षा कक्ष नहीं है। साथ ही 38 प्रतिशत से अधिक विद्यालय ऐसे है, जिनमें चार दीवारी नहीं हैं। अतः शिक्षा के अधिकार कानून को व्यवहार में लाने के लिये उपरोक्त समस्याओं से निबटना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी।

डाइस–2010–11 के प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में करीब 15.4 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं, जो मात्र 1 अध्यापक के सहारे चल रहें हैं एवं करीब 2.4 प्रतिशत से अधिक विद्यालय ऐसे है, जिनमें मात्र 1 कक्षा–कक्ष है। यह समस्या प्राथमिक विद्यालयों में अधिक हैं, राज्य के करीब 31 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में मात्र 1 अध्यापक है एवं करीब 5 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में मात्र 1 कक्षा–कक्ष है। राज्य सभी स्तर के विद्यालयों में शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात (पी.टी.आर.) 26, विद्यार्थी–कक्ष अनुपात (एस.सी.आर.) 23 एवं प्रति विद्यालय औसत शिक्षक 4.4 है, जबकि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात (पी.टी.आर.) 28, विद्यार्थी–कक्ष अनुपात (एस.सी.आर.) 22 एवं प्रति विद्यालय औसत शिक्षक 2.2 है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि राज्य के विद्यालयों में भौतिक एंव मानविय संसाधनों का भारी अभाव है एवं इसके प्रमुख कारणों में एक सरकार शिक्षा पर बहुत ही कम खर्च करती है। विगत 5–6 वर्षों के आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार तथा सभी राज्य सरकारें मिलकर अपने सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी) का मात्र 3 से 3.5 प्रतिशत के करीब शिक्षा पर व्यय कर रही हैं। जबकि कोठारी कमीशन की सिफारिशों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी) का कम से कम 6 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय होना चाहिये एवं वर्तमान की केन्द्र सरकार (यू.पी.ए.) ने शुरु में यह वादा किया था वह कि देश में शिक्षा पर व्यय को बढाकर सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी) का 6 प्रतिशत पर लायेगी, जो अभी तक भी पूरा नही हो पाया है। वही राजस्थान में भी पिछले 5 वर्षों के बजट की स्थिति देखते हैं तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) का 2.5 प्रतिशत से 3.5 प्रतिशत बजट शिक्षा हेतु आवंटित एवं व्यय किया जा रहा है।

इसके अलावा राज्य में शिक्षा पर होने वाले व्यय में बहुत बड़ी राशि केन्द्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत होती है लेकिन केन्द्र सरकार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत अपनी सहायता का हिस्सा लगातार कम रही है। वर्ष 2001–02 में जब सर्व शिक्षा अभियान शुरु किया गया तो इसमें केन्द्र सरकार का हिस्सा 85 प्रतिशत था, जो बाद के वर्षों में कम होकर 75 प्रतिशत रह गया। विगत 2–3 वर्षों में यह और कम होकर औसतन 65 प्रतिशत रह गया। अतः केन्द्र सरकार धीरे धीरे सर्व शिक्षा अभियान से अपने हाथ खींच रही है एवं आने वाले वर्षों में इस योजना को चलाने के लिये अतिरिक्त धन राशि का बोझ राज्य सरकार को ही वहन करना होगा।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि राज्य के विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं की भारी कमी है एवं आने वाले वर्ष में शिक्षा के अधिकार कानून को क्रियांवित करने हेतु राज्य सरकार को शिक्षा पर आवंटन एवं व्यय को बढाकर इस अधिनियम के मापदंडों के अनुसार विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं एवं संसाधनों के विकास हेतु गंभीर प्रयास करने होंगे।

राज्य में अंर्तराष्ट्रीय वित्त पोषित परियोजनाएं

अंर्तराष्ट्रीय या बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं से तात्पर्य उन परियोजना/कार्यक्रमों से है जिनके क्रियान्वयन हेतु वित्त एवं धन की व्यवस्था किसी बाहरी संस्था/संगठन के सहयोग, अनुदान एवं ऋण के आधार पर की जाती है। इस रूप में प्राप्त अंर्तराष्ट्रीय वित्तीय सहायता के आधार पर राज्य में विभिन्न विकास की परियोजनाएं समय समय पर संचालित की जाती रही हैं।

अंर्तराष्ट्रीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता, अनुदान एवं ऋण आधारित योजनाएं किसी राज्य की आयोजना में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। वर्तमान समय में विश्व स्तर पर ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो केन्द्र एवं राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता, अनुदान एवं ऋण के रूप में उपलब्ध करवाती हैं। जिनमें विश्व बैंक, एशियन डवलपमेंट बैंक, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एवं इंटरनेशनल फंड फोर एग्रीकल्चर डवलपमेंट मुख्य हैं।

1 अप्रेल 2005 से पहले तक विदेशी संस्थाओं से प्राप्त सहायता, अनुदान एवं ऋण को भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाता था, जिसमें 30 प्रतिशत अनुदान एवं 70 प्रतिशत ऋण की व्यवस्था होती थी। लेकिन 12 वें केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश के बाद ऐसा प्रावधान रखा गया जिससे भारत सरकार बाहरी सहायता, अनुदान एवं ऋण राज्य सरकारों को उन्हीं नियमों एवं शर्तों पर उपलब्ध करवायेगी जिन शर्तो पर भारत सरकार द्वारा वह अनुदान लिया गया है।

राजस्थान राज्य में पिछले कुछ दशकों में बहुत सी अंर्तराष्ट्रीय वित्त पोषित योजनाओं का क्रियान्वयन पूर्ण किया गया है साथ ही 11 वीं राज्य आयोजना की समयावधि एवं वर्तमान वर्ष में कई अंर्तराष्ट्रीय वित्त पोषित योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जिनसे संबंधित जानकरी निम्न प्रकार है :–

<u>पूर्ण हो चुकी अंर्तराष्ट्रीय वित्त पोषित परियोजनाएं</u> – 11 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में 5 अंर्तराष्ट्रीय वित्त पोषित परियोजनाओं का क्रियान्वयन पूर्ण किया जा चुका है। इस अवधि में शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिये राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना, वानिकी एवं पर्यावरण विकास हेतु राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था के लिये आपणी योजना कार्यक्रम, वंचित वर्ग को शिक्षा से जोडने के लिये वंचित वर्ग हेतु आवासीय विद्यालय परियोजना एवं गरीबी उन्मूलन हेतु जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना का कियान्वयन पूर्ण किया जा चुका है।

<u>वर्तमान में चल रही अंर्तराष्ट्रीय वित्त पोषित परियोजनाएं</u> – राज्य के 11 वीं पंचवर्षीय योजना के अनुरूप वर्तमान में 9 परियोजनाओं का क्रियान्वयन बाहरी सहायता, अनुदान एवं ऋण के आधार पर किया जा रहा है। इनमें से निम्न परियोनाओं की प्रगति अत्यंत ही धीमी है।

- राज्य में लघु सिंचाई व्यवस्था के विकास के लिए 612 करोड़ रू. लागत की राजस्थान लघु सिंचाई विकास परियोजना की कुल समयावधि 9 वर्ष में से 6 वर्ष बीत जाने पर भी केवल 11.95 प्रतिशत राशि का व्यय संभव हो सका है। इस परियोजना में वाटर यूजर एसोसिएशन के निर्माण का लक्ष्य तो पूर्ण कर लिया गया है लेकिन दिसम्बर 2011 तक भौतिक निर्माण में 353 निर्माण कार्यों में से केवल 12 कार्यों को ही पूर्ण किया जा सका है।
- शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिये राज्य में 1883 करोड़ रू. की राजस्थान शहरी इकाई विकास एवं निवेश परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। दिसम्बर 2011 तक परियोजना में कुल लागत का केवल 27.46 प्रतिशत धन ही खर्च किया जा सका है। इस परियोजना में तीनों ट्रेंच के कुल 56 कार्यों में से केवल 23 कार्य ही पूर्ण किये जा सके है।
- दक्षिणी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन के लिये चलाई जा रही 415 करोड़ रू. की दक्षिणी राजस्थान गरीबी उन्मूलन परियोजना में 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी कुल लागत का केवल 2.25 प्रतिशत धन ही व्यय हुआ है। इस परियोजना का उददेश्य जमीनी स्तर की संस्थाओं का विकास करना एवं आजीविका संसाधानों को बढ़ाने का है। परियोजना में स्वयं सहायता समूहों के निर्माण एवं उनके बैंक से लिंकेज होने की प्रकिया को पूर्ण कर लिया गया है लेकिन उसके बाद प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाना बाकी है।
- राज्य में जल की उपलब्धता को सुगम बनाने एवं जल संसाधनों का पुर्नरूत्थान करने हेतु 970 करोड़ की राजस्थान जल क्षेत्र पुर्नगठन परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह योजना मार्च 2013 में समाप्त होने जा रही है। जिसमें दिसम्बर 2011 तक कुल लागत का 80 प्रतिशत धन खर्च किया जा चुका है। इस परियोजना में 124 केनाल पुर्नवास कार्यों में से 105 एवं 10 बांध सुरक्षा के कार्यों में से 8 का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

<u>वर्तमान में क्रियान्वित अन्य परियोजनाओं की स्थिति</u> –

- ग्रामीण आजीविका से संबंधित 870 करोड़ रू. लागत की राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना का क्रियान्वयन जून 2011 से राज्य के 17 जिलों में प्रारम्भ किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य गरीब एवं महिला वर्ग को आजीविका के संसाधन उपलब्ध करवाना एवं सामुदायिक संगठन के माध्यम से समुदाय का सतत विकास करना है।
- वानिकी एवं पर्यावरण से संबंधित 1152.53 करोड रू. लागत की राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना को जून 2011 से राज्य में प्रारम्भ किया गया है। यह परियोजना राज्य के 15 जिलों में कार्य कर रही है।
- राज्य में स्वास्थ्य का स्तर बढाने एवं वंचित वर्ग तक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के लिये राजस्थान स्वास्थ्य व्यवस्था विकास परियोजना का संचालन किया जा रहा है। इस परियोजना के माध्यम से बीपीएल एवं वंचित वर्ग को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इस परियोजना में लगभग शत प्रतिशत राशि का व्यय किया जा चुका है।
- राज्य में वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था को सुगम, गुणवत्तापूर्ण एवं लागों की पहुंच योग्य बनाने के लिये राजस्थान लोक वित्तीय प्रबंधन एवं वसूली क्षमता संवर्धन परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। दिसम्बर 2011 तक इस योजना में कुल लागत का लगभग 30.70 प्रतिशत धन व्यय किया जा चुका है। लेकिन राज्य सरकार की अंतिम रिर्पोट प्राप्त होने तक इस परियोजना का क्रियान्वयन स्थगित रखा गया है।
- जयपुर शहर को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये बीसलपुर जयपुर वाटर सप्लाई परियोजना का कियान्वयन वर्ष 2005 से प्रारम्भ है। अब इस परियोजना में अंर्तराष्ट्रीय वित्त का उपयोग पूर्ण हो चुका है, यह परियोजना अब राज्य सरकार द्वारा स्वयं के धन से चलाई जा रही है।

इनके अलावा 11 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तावित 4 अन्य परियोजनाओं का क्रियान्वयन आवश्यक धन प्राप्त ना हो सकने या अन्य किसी कारण से आरंभ नहीं किया जा सका। वर्तमान में राज्य सरकार निम्न नई परियोजनाओं को आरंभ करने की कार्यवाही कर रही है।

- चम्बल – भीलवाड़ा पेयजल वितरण परियोजना
- नागौर लिफ्ट पेयजल परियोजना
- बाढमेर लिफ्ट केनाल पेयजल वितरण परियोजना
- आपणी योजना फेज 2
- राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना
- जोधपुर शहर में डब्ल्यू.एस.एस. का पुर्नगठन
- आवासीय बस्तियों में सड़क निर्माण परियेाजना

राजस्थान में कृषि क्षेत्र के हालात

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से 8वां बड़ा राज्य है। राज्य की दो तिहाई जनसंख्या की आजीविका कृषि पर आश्रित रहती है। लेकिन राज्य में कृषि क्षेत्र की स्थितियां भौगोलिक परिस्थितियों एवं अन्य कारणों से इतनी अनुकुल नहीं हैं जितनी कि देश के अन्य राज्यों में हैं। राज्य का उत्तर–पश्चिमी भाग थार का मरुस्थल है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61 प्रतिशत है। इस भूभाग में वर्षा के अभाव के कारण निरंतर सुखा पड़ता है एवं फलस्वरुप राज्य की कृषि प्रभावित होने से बड़े पैमाने पर लोगों की आजीविका प्रभावित होती है। हालांकि राज्य का पूर्वी, उत्तरी–पुर्वी एवं दक्षिणी–पूर्वी भाग मैदानी है, जहां तुलात्मक रुप से अच्छी वर्षा होने के साथ कृषि पैदावार भी अच्छी होती है। प्रस्तुत लेख में राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की स्थिति एवं कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों यथा भूमि उपयोग, पैदावार सिंचाई आदि की स्थिति एवं संबंधित समस्याओं तथा इस दिशा में हो रहे सरकारी प्रयासों का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान : आर्थिक समीक्षा 2012 के अनुसार वर्ष 2011–12 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमतों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में कृषि क्षेत्र का योगदान 22.09 प्रतिशत रहने की संभावना है। विगत 5 वर्षों के आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2004–05 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 25.62 प्रतिशत था। जो बाद के वर्षों में लगातार कम होकर वर्ष 2009–10 में 19.82 प्रतिशत रह गया। अतः राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है। जिसका प्रमुख कारण राज्य की अर्थव्यवस्था में गैर कृषिगत क्षेत्रों विशेषकर सेवा क्षेत्र का तीव्र विकास होना है।

इसके अलावा राज्य की कुल वृद्धि दर एवं अन्य सभी क्षेत्रों की तुलना में कृषि की वृद्धि दर कम रहने के साथ–साथ इसमें काफी उतार–चढ़ाव की स्थिति रहती है। इसका प्रमुख कारण राज्य में कृषि का मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होना है एवं राज्य में लगभग हर वर्ष किसी न किसी क्षेत्र में सुखे की स्थिति रहती है। जिससे राज्य की कृषि प्रभावित होती है एवं इसके फलस्वरुप पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर प्रभावित होती है।

भूमि उपयोग एवं इसका वितरण : राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र करीब 342 लाख हैक्टेयर है, जिसके करीब 7.8 प्रतिशत भूभाग पर जंगल है। राज्य में वास्तविक बोया गया या शुद्ध कृषिगत क्षेत्रफल 179 हैक्टेयर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का करीब 52 प्रतिशत है। जबकि प्रथम योजना में राज्य में शुद्ध कृषिगत क्षेत्रफल मात्र तकरीबन 31 प्रतिशत था। इस प्रकार प्रथम योजना में कुल कृषिगत क्षेत्रफल (सकल बोया जाने वाला क्षेत्रफल) राज्य के कुल क्षेत्रफल का मात्र करीब 33 प्रतिशत था, जो 11वीं योजना में 2008–09 तक बढ़कर 66 प्रतिशत से अधिक हो गया है। अतः राज्य में प्रथम योजना से अब तक दुपज (एक से अधिक बार बोया जाने वाला क्षेत्र) क्षेत्रफल 2 प्रतिशत से बढकर 15 प्रतिशत के करीब हो गया है एवं फसलीय सघनता प्रतिशत 107 से बढ़कर 130 हो गया है।

राज्य में जोतों का आकार एवं वितरण : राज्य में जोतों का औसत आकार 3.38 हैक्टेयर है, जबकि पूरे देश में जोतों का औसत आकार 1.23 हैक्टेयर है। अतः राज्य में जोतों का औसत आकार पूरे देश के औसत से 2.75 गुना अधिक है। वर्ष 2011–12 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार राज्य में कुल जोतों की करीब 33.5 प्रतिशत (एक तिहाई) जोतें 1 हैक्टेयर से कम आकार की है, जो जोतों के कुल क्षेत्र का करीब 5 प्रतिशत है। इसी प्रकार लघु जोतों (1–2 हैक्टेयर) वाले किसानों का प्रतिशत 21.3 है, जिनके पास कुल क्षेत्र की मात्र 9 प्रतिशत भूमि है। अतः राज्य में तकरीबन 55 प्रतिशत जोतें लघु एवं सीमांत आकार की है, जिनके अन्तर्गत कुल जोतों के क्षेत्र का मात्र करीब 14 प्रतिशत क्षेत्र आता है। राज्य में करीब 20 प्रतिशत सीमांत मध्यम (2–4 हैक्टेयर) जोतें हैं, जिनका क्षेत्र 17 प्रतिशत है। इसी प्रकार राज्य में मध्यम जोतों (4–10 हैक्टेयर) का प्रतिशत तकरीबन 18 प्रतिशत है, जिनके अन्तर्गत करीब 32 प्रतिशत क्षेत्र आता है। इसके विपरित बड़ी जोतों का प्रतिशत करीब 7 प्रतिशत है, जिनके पास 36 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र है। इससे स्पष्ट होता है कि के करीब 24 प्रतिशत मध्यम एवं बड़े किसानों के पास जोतों के कुल क्षेत्र का तकरीबन 70 प्रतिशत क्षेत्र है। अतः राज्य में वृहद स्तर पर भूमि का असमान वितरण है।

राज्य में कृषि पैदावार एवं सिंचाई की सुविधाएं : राज्य में कृषि पैदावार की स्थिति देखते हैं तो अच्छी बात यह है कि राज्य में विगत 5 वर्षों के दौरान खाद्यानों के उत्पादन में दुगूने से अधिक बढ़ोतरी हुई है, इसमें भी अनाजों के उत्पादन में तकरीबन दुगुनी एवं दालों के उत्पादन में चार गुना बढ़ोतरी हुई है। लेकिन राज्य के कृषि उत्पादन में बहुत उतार–चढ़ाव होते है, जिसके प्रमुख कारणों में से एक राज्य में कृषि का मुख्यतः मानसून पर निर्भर होना है।

वहीं सिंचाई की स्थिति देखते हैं तो राज्य में कुल कृषिगत क्षेत्र का 35 से 38 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचित है, जबकि शेष 62 से 65 प्रतिशत गैर सिंचित क्षेत्र है। आर्थिक समीक्षा, 2011–12 के आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2003–04 से 2006–07 की समयावधि में राज्य के सिंचीत क्षेत्र में वृद्धि हुई थी। लेकिन इसके बाद 2007–08 से राज्य के सिंचीत क्षेत्र में लगातार कमी हो रही है। इसके अलावा राज्य में सिंचाई के विभिन्न स्रोतों पर सिंचाई की निर्भरता देखते हैं तो राज्य में 70 से 75 प्रतिशत तक सिंचाई, कुओं एवं नलकूप पर निर्भर है। अन्य स्रोतों की कमी के कारण कुओं एवं नलकूप द्वारा भूमिगत जल का तेजी से विदोहन हो रहा है एवं भूमिगत जलस्तर निरंतर गिर रहा है, जो कि चिंता का विषय है।

राज्य में कृषि क्षेत्र पर सरकारी व्यय : राज्य में 60 प्रतिशत से अधिक आबादी की आजीविका कृषि क्षेत्र पर निर्भर होने के बावजूद भी राज्य सरकार अपने कुल बजट व्यय की बहुत ही कम राशि इस क्षेत्र पर व्यय कर रही है। विगत 5 वर्षों में राज्य सरकार अपने कुल व्यय का मात्र 2.5 से 5.5 तक प्रतिशत राशि कृषि एवं संबद्ध सेवाओं व्यय की जा रही है, जबकि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर तकरीबन 3.5 प्रतिशत के करीब राशि व्यय की जा रही है।

राज्य में कृषि क्षेत्र के विकास हेतु हो रहे प्रयास : राज्य में वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, आत्मा आदि केन्द्र प्रवर्तित योजनायें चल रही हैं। इसके अलावा 11वीं पंचवर्षीय योजना में सीड एक्शन प्लान के अन्तर्गत बीज प्रतिस्थापन दर (पारंपरिक बीजों के स्थान पर संकर तथा उच्च उत्पादकता वाले बीज की बुवाई की दर) 40 प्रतिशत हासिल करने लक्ष्य बनाया गया, हालांकि वर्ष 2012 तक केवल 21 प्रतिशत तक बीज प्रतिस्थापन दर ही हासिल हो सकी। राज्य सरकार ने 2009–10 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत आदिवासी बाहुल्य जिलों में गोल्डन रेज़ परियोजना की शुरुआत की गयी जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादित संकर बिजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं कृषि क्षेत्र के संबंध में नीतिगत प्रयासों में राज्य सरकार ने वर्ष 2010 में राज्य की जल नीति की घोषणा की एवं 2011 में कृषि नीति का मसौदा तैयार किया गया। इसके अलावा राज्य में किसानों की दशा, कृषि ऋण व्यवस्था, पैदावार का मूल्य एवं निर्यात आदि समस्याओं पर सिफारिशों हेतु किसान आयोग का गठन किया गया है एवं इसके प्रतिवेदन के बाद कृषि नीति को अंतिम रुप दिया जायेगा।

कृषि नीति : राज्य की कृषि नीति का मसौदा मुख्यतः कृषि विकास हेतु बहुराष्ट्रीय निजी कंपनीयों को बढ़ावा देने पर ज़ोर देता है। इस मसौदे में राज्य में पहले से जारी 'बीज योजना' की तरह पारंपरिक बीजों की जगह संकर तथा अधिक पैदावार वाले बीजों को प्रचलित करने पर ज़ोर दिया गया है। वहीं सोचने वाली बात यह है कि कृषि नीति के मसौदा में कृषि में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका का ज़िक्र तक नहीं किया गया है, जबकि राज्य सरकार कृषि को पंचायतराज के अधीन कर चुकी है। इसके अलावा इसमें सिंचाई स्रोतों के विकास हेतु निवेश तथा पूंजी निर्माण बढ़ाने के लिए निजी पूंजी निवेश पर ज़ोर दिया गया है। जबकि इस हेतु सरकारी निवेश बढ़ाने की आवश्कता जोर देना चाहिये। अतः राज्य कृषि नीति में बहुत सी बातें निराधार एवं अस्पष्ट होने के साथ ही राज्य की परिस्थितियों के अनुकुल नहीं है।

अन्त में यह कह सकते हैं कि सरकार को अपनी नीति में राज्य में कृषि क्षेत्र के विकास हेतु कृषि योग्य व्यर्थ भूमि का सुधार, गैर भूमिगत अन्य जल स्रोतों के विकास आदि पर व्यय पर जोर देना चाहिये। इसके अलावा राज्य में छोटे एवं सीमांत किसानों के लिये विशेष कार्यक्रम चलाने के साथ यहां की भोगौलिक परिस्थितीयों के अनुकुलतम निम्न सिंचाई आवश्यकता वाली फसलों को बढ़ावा देने वाली योजनाएं बनाई जानी चाहिये, जो राज्य के एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन के अनुसार हो। इसके साथ ही राज्य की विभिन्न नीतियों यथा–कृषि नीति, पशुपालन नीति, जल नीति, वन नीति, भू–उपयोग नीति, खाद्य प्रसंस्करण नीति, बीज नीति, खाद नीति, बिजली नीति, सिचाई नीति आदि में समन्वय होना चाहिए।

ग्रामीण विकास की राज्य बजट में स्थिति

राज्य सरकार द्वारा वर्तमान वर्ष 2012–13 के लिये कुल 76675.25 करोड़ रू. की राशि के व्यय का अनुमान किया गया है। जबकि राज्य बजट से ग्रामीण विकास के लिये इस वर्ष कुल 4897.98 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया है। ग्रामीण विकास के लिये यह राशि आंवटन ग्राम विकास के लिए विशेष कार्य्रक्रम (2501), ग्राम रोजगार (2505), अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम (2515), अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रम (2575), अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय (4515), अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय (4575), मदों के अतंर्गत किया गया है।

पिछले वर्षों एवं वर्ष 2012–13 में ग्रामीण विकास हेतु राशि आवंटन

राशि करोड़ में

क.सं.	वर्ष	राज्य का कुल बजट	ग्रामीण विकास *	प्रतिशत
1	2010–11 वास्तविक	57090.29	2592.18	4.54 %
2	2011–12 अनुमानित	63998.82	4107.87	6.42 %
3	2012–13 अनुमानित	76675.25	4897.98	6.39 %

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार

उपरोक्त सारणी के अध्ययन से स्पष्ट है कि ग्रामीण विकास के लिये पिछले वर्षों में राज्य बजट से 4 से 7 प्रतिशत राशि आवंटित की गई है। चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में ग्रामीण विकास के लिए कुल 4897.98 करोड़ की राशि व्यय हेतु प्रस्तावित की गई है यह राशि राज्य के कुल बजट की लगभग 6.40 प्रतिशत है। राज्य सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में ग्रामीण विकास के लिए आवंटित राशि में निरन्तर बढोतरी की गई है।

राज्य बजट 2012 – 13 से ग्रामीण विकास को राशि आवंटन

राशि करोड़ में

क्र.सं.	आयोजना भिन्न	आयोजना	केन्द्र प्रायो. योजना	ग्रामीण विकास * का कुल बजट
1	1213.98 (24.79 %)	3083.00 (62.94 %)	601.00 (12.79 %)	4897.98 (100%)

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार

ग्रामीण विकास के कुल बजट में ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम, ग्राम रोजगार, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रम, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय एवं अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय की राशि सम्मिलित है।

चालू वर्ष में ग्रामीण विकास हेतु आवंटित कुल राशि में 24.79 प्रतिशत लगभग 1213.98 करोड रू. गैर आयोजना मद में आवंटित किये गये हैं। आयोजना मद में ग्रामीण विकास के कुल आवंटन का 62.94 प्रतिशत लगभग 3083 करोड़ का आवंटन किया गया है। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिये ग्रामीण विकास के कुल बजट का 12.79 प्रतिशत लगभग 601 करोड की राशि का आवंटन किया गया है।

पिछले तीन वर्षों में ग्रामीण विकास के लिए मुख्य शीर्षवार राशि आवंटन

राशि करोड़ में

क.सं.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विषय	2010–11	2011–12	2012–13	प्रतिशत (2012–13)
1	**2501**	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम – राजस्व व्यय	**95.93**	**89.10**	**205.95**	**4.20 %**
1.1		मरूस्थल विकास कार्यक्रम	41.79	33.00	15.00	
1.2		बंजर भूमि विकास (राज्यांश)	28.91	33.50	40.05	
1.3		स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश)	25.23	22.60	150.90	
2	**2505**	ग्राम रोजगार – राजस्व व्यय	**42.98**	**424.91**	**470.89**	**9.61 %**
2.1		राष्ट्रीय कार्यक्रम	13.79	75.00	121.00	
2.2		महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना	29.19	349.91	349.89	
3	**2515**	अन्य ग्राम विकास कार्यकम – राजस्व व्यय	**2119.35**	**3259.80**	**3778.94**	**77.15 %**
4	**2575**	अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रम – राजस्व व्यय	**0.14**	**0.59**	**0.90**	**0.02 %**
4.1		पिछडे क्षेत्र (मेवात, डांग)		0.19	0.50	
4.2		सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	0.14	0.40	0.40	
5	**4515**	अन्य ग्राम विकास कार्यकमों पर पूँजीगत परिव्यय	**232.94**	**228.50**	**246.00**	**5.02 %**
6	**4575**	अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	**100.84**	**104.97**	**195.30**	**3.99 %**
6.1		डांग जिले	1.81	1.81	19.50	
6.2		पिछड़े क्षेत्र	12.27	12.25	45.00	
6.3		सीमा क्षेत्र विकास (केन्द्रीय सहायता)	86.76	90.91	130.80	
		योग	2592.18	4107.87	4897.98	**100 %**

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार

उपरोक्त सारणी में पिछले तीन वर्षों में ग्रामीण विकास के लिये मुख्य शीर्षवार राशि आवंटन को दिखाया गया है। वर्ष 2012–13 में ग्रामीण विकास हेतु कुल 4897.98 करोड़ रू. का आवंटन किया गया है, इस कुल आवंटित राशि का 4.20 प्रतिशत लगभग 205.95 करोड रू. ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें मरूस्थल विकास कार्यक्रम, बंजर भूमि विकास एवं स्वरोजगार कार्यक्रम को सम्मिलित किया गया है।

ग्राम रोजगार मद के अंतर्गत ग्रामीण विकास के कुल बजट का 9.61 प्रतिशत लगभग 470.89 करोड़ रू. की राशि का आवंटन किया गया है जिसमें राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं महानरेगा योजना में दिया जा रहा राज्यांश शामिल है।

चालू वर्ष में ग्रामीण विकास के कुल बजट का सर्वाधिक 77.15 प्रतिशत लगभग 3778.94 करोड रू. का आवंटन अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है जिसमें राज्य एंव केन्द्रीय वित्त आयोग, पंचायतों को निर्बन्ध राशि, ग्रामीण बीपीएल आवास, पिछड़ा जिला विकास कोष, सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम जिला नवाचार कोष एवं मध्यान्ह भोजन जैसे कार्यक्रम सम्मिलित हैं। इसके अलावा अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत कुल बजट का 5.02 प्रतिशत लगभग 246 करोड़ रू. की राशि जारी की गई है। पूंजीगत परिव्यय के द्वारा सामान्यतः किसी स्थाई सम्पत्ति का निर्माण होता है जबकि राजस्व व्यय में वेतन आदि नियमित खर्च शामिल रहता है।

अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विकास के कुल बजट का केवल 0.02 प्रतिशत लगभग 90 लाख रू. का आवंटन किया गया है जिसमें मेवात, डांग एवं सीमा क्षेत्र विकास के कार्यक्रम शामिल हैं। जबकि अन्य क्षेत्र विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत कुल बजट का 3.99 प्रतिशत लगभग 195.30 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया है।

ग्रामीण आवास

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण आवास उपलब्ध करवाने हेतु ग्राम स्तर पर केन्द्र प्रायोजित इंदिरा आवास योजना एवं ग्रामीण बीपीएल आवास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के पिछडे एवं बीपीएल लोगों को आवास उपलब्ध करवाना है। इन योजनाओं की राशि उपरोक्त ग्रामीण विकास बजट में शामिल है। लेकिन निम्न सारणी में ग्रामीण आवास के लिये उपलब्ध कुल राशि का अलग से विवरण दिया जा रहा है।

ग्रामीण विकास के अंतर्गत ग्रामीण आवास हेतु राशि आवंटन

राशि करोड़ में

क.सं.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विषय	2010–11	2011–12	2012–13
1		ग्रामीण आवास हेतु कुल राशि	**2.30**	**23.24**	**133.42**
1.1	2505	राष्ट्रीय कार्यक्रम – इंदिरा आवास हेतु	2.30	2.78	2.91
1.2	2515	ग्रामीण बी.पी.एल. आवास		20.46	130.51

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार

वर्ष 2010–11 में ग्रामीण आवास हेतु कुल 2.60 करोड रू. एवं 2011–12 में 20.46 करोड़ रू. का आंवटन राज्य सरकार द्वारा किया था। चालू वर्ष 2012–13 में राज्य बजट से ग्रामीण आवास के लिये कुल 133.42 करोड़ रू. की राशि जारी की गई है जिसमें इंदिरा आवास के लिये 2.91 करोड़ रू. एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास कार्यक्रम के लिये 130.51 करोड़ रू. की राशि आंवटित की गई है। इस तरह ग्रामीण आवास मद के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 से अप्रत्याशित वृद्धि की गई है।

मुख्यमंत्री बी.पी.एल. आवास योजना की प्रगति – अक्टूबर 2012 तक

मकानों की (संख्या)	वित्तीय स्वीकृति की संख्या	आवास निर्माण की स्थिति (संख्या)				स्वच्छ शौचालय	
		अप्रारंभ	प्रारंभ	लिंटर तक	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण
196969	275605	3579	34192	148223	89611	203354	17825

स्रोत : उपरोक्त सूचना ग्रामीण विकास विभाग की सरकारी वेबसाईट से प्राप्त की गई है।

- मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना में निर्धारित लक्ष्य, 3 वर्ष में 6 लाख 80 हजार आवास निर्माण की एवज में केवल 89611 आवासों का निर्माण ही पूर्ण किया गया है।
- 2 लाख से अधिक स्वच्छ शौचालयों की स्वीकृति होने पर भी केवल 17825 का कार्य ही पूर्ण किया जा सका है।

ग्रामीण जलापूर्ति

ग्रामीण जलापूर्ति मद के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिये चलाये जा रहे कार्यक्रम/योजनाओं के आवंटन की जानकारी दी गई है। हालाकिं ग्रामीण विकास के बजट में अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम (2515) के अंतर्गत सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम की राशि आवंटित की गई है लेकिन राज्य बजट में इसके अलावा, जलापूर्ति एवं सफाई मद के अंतर्गत भी ग्रामीण जलापूर्ति हेतू राशि जारी की जाती है जिसे निम्न सारणी में दिखाया गया है।

ग्रामीण जलापूर्ति हेतु आवंटित राशि

राशि करोड़ में

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विषय	2010–11	2011–12	2012–13
1	**2215**	जलापूर्ति एवं सफाई			
		ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	528.88	616.78	648.50

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

उपरोक्त सारणी में राज्य बजट से पिछले तीन वर्षों में ग्रामीण जलापूर्ति हेतु आवंटित राशि का विवरण दिया गया है। इस मद के अंतर्गत अन्य ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं, अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम, जनता जल योजना एवं जलपूर्ति योजना साहवा गंधेली की राशि को सम्मिलित किया गया है। यह राशि मुख्यतः पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से खर्च की जाती है।

ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम में आवंटित राशि ग्रामीण विकास में आंवटित राशि के अतिरिक्त है। वर्ष 2010– 11 में ग्रामीण जलापूर्ति के लिये राज्य बजट से कुल 528.88 करोड़ रू. जारी किये गये गया एवं वर्ष 2011–12 में यह आंवटित राशि बढाकर 616.78 करोड रू कर दी गई। वर्ष 2012–13 ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 648.50 करोड रू का बजट आवंटित किया गया है।

संपादक – **नेसार अहमद**
संपादक मण्डल – **महेन्द्र सिंह राव**
– **भूपेन्द्र कौशिक**
– **किर्ती टांक**
सहयोग – **सीताराम मीणा**
– **अंकुश वर्मा**
सलाहकार – **डॉ. जिनी श्रीवास्तव**

विभिन्न विभागों की बजट सम्बन्धी विस्तृत जानकारी एवं बजट समाचार के लिए आप हमसे निम्न पते पर सम्पक्र कर सकते हैं :-

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
फोन/फैक्स : (0141) 238 5254
E-mail : info@barcjaipur.org website : www.barcjaipur.org

बुक पोस्ट

सेवा में,

श्रीमान/श्रीमती.....

.....

..... पिन कोड.....